भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3825

दिनांक 11 अगस्त, 2023 को उत्तर के लिए

ऑनलाइन बाल शोषण

3825. श्री खगेन मुर्मु:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार बाल यौन शोषण की घटनाओं को रोकने के लिए बालकों द्वारा इंटरनेट के उपयोग हेतु सुरक्षा उपाय करने को सही मानती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने देश में बालकों में इंटरनेट के उपयोग को विनियमित करने के लिए ऐसे कोई दिशानिर्देश जारी किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ड) क्या सरकार ने देश में ऑनलाइन बाल शोषण के मुद्दे से निपटने के लिए किसी अन्य विकल्प की खोज की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या उपाय किए जा गए हैं/किए जाने का विचार है?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी **महिला एवं बाल विकास मंत्री**

(क) से (च): राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) से प्राप्त जानकारी के अनुसार, एनसीपीसीआर ने पोक्सो अधिनियम 2012 पर सूचना और जागरूकता के प्रचार- प्रसार के लिए केंद्र और राज्य सरकारों का समर्थन करने हेतु सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) सामग्री तैयार की है। निम्नलिखित आईईसी सामग्री एनसीपीसीआर की वेबसाइट www.ncpcr.gov.in पर उपलब्ध है:-

(i) पोक्सो अधिनियम, 2012 के कार्यान्वयन के लिए एक आसान गाइड

(ii) किशोर न्याय अधिनियम 2015 और पोक्सो अधिनियम, 2012 के कार्यान्वयन के लिए जिला प्रशासन के लिए एक गाइड
(iii) साइबर अपराध के शिकार बच्चों के लिए कानूनी टूल किट
(iv) पोक्सो अधिनियम, 2012 पर यूजर हैंडबुक
(v) इंटरनेट पर सुरक्षित रहने के लिए क्या करें और क्या न करें

मार्च 2020 से, एनसीपीसीआर ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब) पर बाल यौन शोषण और पोक्सो अधिनियम के विभिन्न पहलुओं पर जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित किए, जो इस प्रकार हैं:

(i) "कोविड 19 के दौरान बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा" विषय पर एनसीपीसीआर के अध्यक्ष ने 8 अप्रैल, 2020 को साइबर पीस फाउंडेशन के सहयोग से एक ट्विटर चैट आयोजित की।
(ii) साइबर सुरक्षा पर वेबिनार - बच्चों को ऑनलाइन सुरक्षित रखना (ऑनलाइन स्कूली शिक्षा को साइबर सुरक्षित बनाना) 18 मई, 2020 को आयोजित किया गया था।
(iii) साइबर सुरक्षा पर वेबिनार - बच्चों को ऑनलाइन सुरक्षित रखना (स्कूल साइबर सुरक्षा में कैसे भाग ले सकता है - साइबर सुरक्षा में एक संपूर्ण स्कूल दृष्टिकोण) 19 मई, 2020 को आयोजित किया गया था।
(iv) साइबर सुरक्षा- बच्चों को ऑनलाइन सुरक्षित रखना (घर पर साइबर सुरक्षा) पर वेबिनार 20 मई 2020 को आयोजित किया गया था।
(v) "बाल यौन शोषण: फोरेंसिक न्यायशास्त्र और पुलिस की भूमिका" पर वेबिनार 29 जून, 2020 को आयोजित किया गया था।
(vi) 23 सितंबर, 2020 को "नए युग के साइबर अपराध और बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा: चुनौतियां और समाधान" पर वेबिनार आयोजित किया गया था।
(vii) निम्नलिखित विषयों पर सूचनात्मक पोस्टर और सामग्री 8 जून, 2020 को सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर प्रसारित की गई।

- कोविड-19 के दौरान सुरक्षित ऑनलाइन शिक्षण
- साइबर बुलिंग
- ऑनलाइन सुरक्षित कैसे रहें
- बुलिंग को कैसे रोकें और उसका मुकाबला कैसे करें

एनसीपीसीआर ने साइबर सुरक्षा दिशानिर्देश भी तैयार किए हैं और इन्हें 2017 में विकसित 'स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा और संरक्षा पर नियमावली' में एक अलग खंड के रूप में शामिल किया है। साइबर सुरक्षा पर एक खंड सहित अद्यतन नियमावली एनसीपीसीआर की वेबसाइट के निम्नलिखित लिंक https://ncpcr.gov.in/uploads/165650391762bc3e6d27f93_Manual%20on%20Safety%20and%20Security%20of%20Children%20in%20Schools%20(Sep%202021).pdf पर उपलब्ध है।

इसके अलावा, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, सरकार की नीतियों का उद्देश्य अपने सभी उपयोगकर्ताओं के लिए एक सुरक्षित और विश्वसनीय और उत्तरदायी इंटरनेट सुनिश्चित करना है। इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सामग्री का प्रकाशन या प्रसारण, साइबर अपराध है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 ("आईटी अधिनियम") और सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 ("आईटी नियम, 2021"), ऐसे कृत्य के लिए दंड और सजा का प्रावधान करते हैं तथा सोशल मीडिया मध्यस्थों सहित मध्यस्थों पर नियम 3(1)(ख) के अनुसार इसका सम्यक तत्परता से पालन करने का दायित्व भी डालते हैं। मध्यस्थों द्वारा आईटी नियम, 2021 में प्रदान किए गए मादंडों का पालन करने में विफलता के मामले में, वे आईटी अधिनियम की धारा 79 के तहत वे अपनी सुरक्षित आश्रय सुरक्षा खो देंगे और कानून में प्रदान की गई ऐसी परिणामी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होंगे।

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 ("आईटी अधिनियम") इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील हरकत वाली सामग्री के प्रकाशन या प्रसारण (धारा 67 क और 67 ख) और इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सामग्री के प्रकाशन या प्रसारण (धारा 67) को क्रमशः तीन और पांच साल की अवधि के कारावास तक दंडनीय बनाता है तथा धारा 77 ख के अनुसार ऐसे साइबर अपराध संज्ञेय अपराध हैं। दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के प्रावधानों के अनुसार, संज्ञेय अपराधों की रोकथाम और जांच पुलिस द्वारा की जानी है, और संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार, 'पुलिस' एक राज्य का विषय है। इस प्रकार, राज्य पुलिस विभागों के माध्यम से ऐसे साइबर अपराधों की रोकथाम, जांच आदि के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं, जो कानून के अनुसार निवारक और दंडात्मक कार्रवाई करते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील हरकत या अश्लील सामग्री के प्रकाशन या प्रसारण किए जाने वाले कथित साइबर अपराध भी शामिल हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 ("आईटी अधिनियम") और सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 ("आईटी नियम, 2021") ने मिलकर एक रूपरेखा बनाई है जो सोशल मीडिया मध्यस्थों सहित मध्यस्थों पर इनका सम्यक तत्परता से पालन करने का दायित्व डालती है और यह प्रावधान करती है कि यदि वे इस तरह के उचित मानदंडों का पालन करने में विफल रहते हैं, तो उन्हें तीसरे पक्ष की जानकारी या डेटा या उनके द्वारा होस्ट किए गए संचार लिंक के लिए कानून के तहत उनके दायित्व से छूट नहीं दी जाएगी। इस तरह के सम्यक तत्परता में निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) उपयोगकर्ताओं को ऐसी जानकारी होस्ट, प्रदर्शित, अपलोड, संशोधित, प्रकाशित, प्रसारित, संग्रहीत, अद्यतन या साझा न करने के लिए उचित प्रयास करना जो बच्चों के लिए हानिकारक है, या अश्लील है, या दूसरे की शारीरिक गोपनीयता पर आक्रमण करती है, या किसी कानून का उल्लंघन करती है;
(ii) उपरोक्त के उल्लंघन पर स्वैच्छिक आधार पर, और उपयुक्त सरकार या उसकी एजेंसी से शिकायत या न्यायलीय आदेश या नोटिस प्राप्त होने पर वास्तविक जानकारी के आधार पर, शालीनता

के लिए या नैतिकता या मानहानि के संबंध में उस समय लागू कानून के तहत निषिद्ध गैरकानूनी जानकारी को होस्ट, स्टोर या प्रकाशित नहीं करना चाहिए;

(iii) कानूनी रूप से अधिकृत सरकारी एजेंसी से आदेश प्राप्त होने पर, 72 घंटों के भीतर समयबद्ध तरीके से कानून के तहत रोकथाम, पता लगाने, जांच या अभियोजन के लिए जानकारी या सहायता प्रदान करना;

(iv) एक शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना, और नियमों के उल्लंघन की शिकायतों को रिपोर्ट किए जाने के 72 घंटों के भीतर समाधान करना और, किसी व्यक्ति या उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा शिकायत के मामले में, 24 घंटों के भीतर किसी भी सामग्री को हटाना जो प्रथम दृष्टया ऐसे व्यक्ति के गोपनीय क्षेत्र को उजागर करता है, ऐसे व्यक्ति को पूर्ण या आंशिक नग्नता में दिखाता है या किसी यौन कार्य या आचरण में ऐसे व्यक्ति को दिखाता या चित्रित करता है; इसके अलावा, उपयोगकर्ताओं को ऐसी शिकायतों पर शिकायत अधिकारियों द्वारा लिए गए निर्णयों के खिलाफ अपील करने की अनुमति देने के लिए एक या अधिक शिकायत अपीलीय समिति (समितियों) की स्थापना का प्रावधान करने के लिए नियमों में 28.10.2022 को संशोधन किया गया है;

(v) यदि कोई मध्यस्थ एक महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थ है (अर्थात, एक मध्यस्थ जिसके भारत में 50 लाख से अधिक पंजीकृत उपयोगकर्ता हैं), तो उसे अतिरिक्त रूप से सम्यक तत्परता का पालन के अवलोकन के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों और एक स्थानीय शिकायत अधिकारी के साथ 24x7 समन्वय के लिए एक मुख्य अनुपालन अधिकारी, एक नोडल संपर्क व्यक्ति की नियुक्ति करनी होगी, और बाल यौन शोषण या आचरण को दर्शाने वाले किसी भी कृत या अनुकरण को दर्शाने वाली जानकारी को सक्रिय रूप से पहचानने/ पता लगाने के लिए स्वचालित उपकरणों या अन्य तंत्रों सहित प्रौद्योगिकी-आधारित उपायों को तैनात करने का प्रयास करना होगा।

(vi) यदि कोई महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थ मुख्य रूप से मैसेजिंग की प्रकृति में सेवाएं प्रदान कर रहा है, तो उसे बलात्कार, स्पष्ट यौन सामग्री या बाल यौन शोषण सामग्री से संबंधित किसी अपराध की रोकथाम, पता लगाने, जांच, अभियोजन या सजा के प्रयोजनों के लिए अपने कंप्यूटर संसाधन पर जानकारी के पहले प्रवर्तक/ जनक की पहचान करने में सक्षम बनाना होगा।

आपत्तिजनक सामग्री या उनके खातों/ अकाउंट के निलंबन के संबंध में उपयोगकर्ताओं की शिकायतों पर सोशल मीडिया मध्यस्थों और अन्य मध्यस्थों की ओर से कार्रवाई या निष्क्रियता के संबंध में शिकायतों को ध्यान में रखते हुए, केंद्र सरकार ने जैसा कि आईटी नियम, 2021 में उपयोगकर्ताओं की शिकायतों पर मध्यस्थों के शिकायत अधिकारी द्वारा लिए गए निर्णयों के खिलाफ उपयोगकर्ता की अपील करने में सक्षम बनाने के प्रावधान के लिए तीन शिकायत अपीलीय समितियों (जीएसी) की भी स्थापना की है।

इसके अलावा, आईटी नियम, 2021 के भाग III में निर्धारित आचार संहिता के तहत, एक ऑनलाइन कंटेंट क्यूरेटर के प्रकाशकों को उनके द्वारा प्रेषित या प्रकाशित या प्रदर्शित सभी सामग्री को सामग्री की प्रकृति और प्रकार के आधार पर रेटिंग श्रेणियां बच्चों के लिए उपयुक्त सामग्री, 7 वर्ष या 13 वर्ष या 16 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों या माता-पिता के मार्गदर्शन वाले उक्त आयु से कम आयु के व्यक्तियों के लिए उपयुक्त सामग्री और इस तरह के वर्गीकरण को प्रदर्शित करने सहित विभिन्न

श्रेणियों में वर्गीकृत करना आवश्यक है। उन्हें उचित पहुंच नियंत्रण उपायों के कार्यान्वयन के माध्यम से एक बच्चे द्वारा कुछ क्यूरेटेड सामग्री तक पहुंच को प्रतिबंधित करने की भी आवश्यकता है।
इसके अलावा, भारत सरकार (जीओआई) ने बच्चों के हितों और कल्याण की सुरक्षा के लिए उचित सम्मान के साथ बच्चों को लैंगिक उत्पीड़न, यौन हमले और अश्लील साहित्य के अपराधों से बचाने के लिए लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम, 2012 लागू किया था। यह अधिनियम जेंडर न्यूट्रल है और अठारह वर्ष से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को बच्चे के रूप में परिभाषित करता है। यह बच्चे के स्वस्थ शारीरिक, भावनात्मक, बौद्धिक और सामाजिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए हर स्तर पर बच्चे के सर्वोत्तम हित और कल्याण को सर्वोपरि महत्व देता है। इस तरह के अपराध के बारे में जानने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा अपराध की अनिवार्य रिपोर्टिंग भी अधिनियम के तहत निर्धारित की गई है, ताकि ऐसे अपराधों पर अक्सर देखी जाने वाली चुप्पी की संस्कृति को चुनौती दी जा सके।

भारत सरकार ने बाल पोर्नोग्राफी पर अंकुश लगाने और बाल शोषण को रोकने के लिए धारा-14, धारा-15 में संशोधन करके और पोक्सो अधिनियम, 2012 की धारा-2 (घक) के तहत बाल पोर्नोग्राफी की परिभाषा पेश करके अधिनियम के प्रावधानों को और सख्त बना दिया है। बाल अश्लीलता पर अंकुश लगाने के लिए पोक्सो अधिनियम के प्रावधान इस प्रकार हैं:-

i.) पोक्सो अधिनियम की धारा -2 (घक) बाल पोर्नोग्राफ़ी शब्द को स्पष्ट रूप से परिभाषित करती है - बाल पोर्नोग्राफ़ी की परिभाषा: *"बाल पोर्नोग्राफ़ी का अर्थ है किसी बच्चे से जुड़े स्पष्ट यौन आचरण का कोई भी दृश्य चित्रण जिसमें फोटोग्राफ, वीडियो, डिजिटल या एक वास्तविक बच्चे से अलग न की जाने वाली, और बनाई गई छवियां, अनुकूलित या संशोधित छवि, लेकिन एक बच्चे को चित्रित करती प्रतीत होती है कंप्यूटर से तैयार किया गया चित्र शामिल है।*

ii.) अधिनियम की धारा-14 किसी बच्चे को अश्लील उद्देश्यों के लिए प्रयोग करने के लिए सजा का प्रावधान करती है

धारा 14(1) - *"जो कोई भी, किसी बच्चे या बच्चों का प्रयोग अश्लील उद्देश्यों के लिए करेगा, उसे पांच साल से कम की सजा नहीं होगी और वह जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा, और दूसरी या बाद की सजा की स्थिति में कारावास की सजा सात वर्ष से कम की अवधि की नहीं होगी और उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है।"*

धारा-14(2)-"*जो कोई भी उप-धारा (1) के तहत अश्लील उद्देश्यों के लिए किसी बच्चे या बच्चों का प्रयोग करता है, वह सीधे तौर पर अश्लील कृत्य में भाग लेकर धारा 3 या धारा-5 या धारा-7 या धारा-9 में निर्दिष्ट अपराध करता है, उसे उक्त अपराध के लिए उप-धारा (1) में प्रदान की गई सजा के अलावा, क्रमशः धारा-4, धारा-6, धारा-8, धारा-10 के तहत भी दंडित किया जाएगा।*

iii.) अधिनियम की धारा 15 बच्चे से जुड़ी अश्लील सामग्री के भंडारण के लिए सजा का प्रावधान करती है। जो धारा शुरू में बाल पोर्नोग्राफी के व्यावसायिक प्रयोग के लिए सजा

निर्धारित कर रही थी, उसे अपराध के स्तर के अनुरूप श्रेणीबद्ध सजा प्रदान करने के लिए विस्तारित किया गया है। संशोधित सज़ा इस प्रकार है:-

धारा-15(1)- कोई भी व्यक्ति, जो किसी बच्चे से जुड़ी अश्लील सामग्री को किसी भी रूप में संग्रहित करता है या अपने पास रखता है, लेकिन साझा करने या प्रसारित करने के इरादे से उसे हटाने या नष्ट करने या निर्दिष्ट प्राधिकारी को रिपोर्ट करने में विफल रहता है, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है, उस पर कम से कम 5000/- रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा और दूसरे या बाद के अपराध की स्थिति में लगाया जाने वाला जुर्माना 10,000/-रुपये से कम नहीं होगा।

धारा-15(2)- कोई भी व्यक्ति, रिपोर्टिंग या न्यायालय में सबूत के तौर उपयोग के उद्देश्य जैसा भी निर्धारित किया जा सकता है, के सिवाय किसी भी समय किसी भी तरीके से संचारित करने या प्रचारित करने या प्रदर्शित करने या वितरित करने के लिए किसी भी रूप में बच्चे से संबंधित अश्लील सामग्री संग्रहीत करने या रखने का दोषी पाया लजाता है तो उसे तीन साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा

धारा-15(3)- कोई भी व्यक्ति, जो किसी भी रूप में व्यावसायिक उद्देश्य के लिए किसी बच्चे से संबंधित अश्लील सामग्री संग्रहीत या अपने पास रखता है, उसे पहली बार दोषी पाए जाने पर कारावास से दंडित किया जाएगा, जो तीन साल से कम नहीं होगी, जिसे पांच तक बढ़ाया जा सकता है और दूसरी या बाद की सजा की स्थिति में, दोनों में से किसी भी प्रकार के कारावास से, जो पांच साल से कम नहीं होगा, जिसे सात साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

*****